8

15

नकल आदेश दि० 14-8-12 व अनुमान मु० नं० 09/27 अन्तर्गत — धारा 143 ज०वि० अधि० ग्राम गोपालपुर बड़ागांव पर० अल्दमऊ राज प्रसाद उपाध्याय बनाम सरकार आदि न्यायालय उपजिलाधिकारी (न्या०) तारीख फै० 30-11-11 / 14-8-12 तो० नं० 247

आदेश की धनराशि राज्य के [illegible] है

153

(2)

न्यायालय उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर-सुलतानपुर ।

वाद संख्या- 9/27

अन्तर्गत धारा-143 जमींदारी विनाश अधिनियम
ग्राम गोपालपुरबड़ागांव परगना अल्देमऊ
तहसील जयसिंहपुर जिला-सुलतानपुर ।

राजप्रसाद उपाध्याय-----------बनाम-----------------सरकार उ0प्र0आदि

निर्णय

राजप्रसाद उपाध्याय प्रबन्ध बाबा बालक दास गर्ल्स डिग्री कालेज आफ साइन्स एण्ड मैनेजमेन्ट देवकलानगर बड़ागांव-मोतिगरपुर, सुलतानपुर ने गाटा संख्या-378क रकबा 0-919है स्थित ग्राम गोपालपुरबड़ागांव के 13/18 भाग रकबे को आबादी/अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया। दावे के साथ वादी ने उक्त गाटे की अद्यावधिक कम्प्यूटराइज नकल खतौनी प्रस्तुत किया है। सम्पूर्ण पत्रावली स्थलीय जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश सहित तहसीलदार जयसिंहपुर को भेजी गयी। तहसीलदार जयसिंहपुर ने क्षेत्रीय लेखपाल/प्रभारी राजस्व निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार बरासा से आख्या प्राप्त कर अपनी आख्या दिनांक-27-7-12 पत्रावली में संलग्न कर न्यायालय में प्रेषित किया है जिसमें उल्लेख है कि वादी राजप्रसाद उपाध्याय प्रबन्धक बालकदास गर्ल्स कालेज देवकलानगर गोपालपुर-मोतिगरपुर द्वारा गाटा संख्या-378क रकबा 0-919 है0 के 13/18 भाग यानि 0-664है0 रकबा स्थित ग्राम गोपालपुरबड़गांव पर विद्यालय भवन का निमार्ण करवा रहे हैं जो इस समय निमार्णाधीन है तथा वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। भूमि अकृषिक हो चुकी है। अन्त में गाटा संख्या-378क रकबा 0-919है0 के 13/18 भाग अर्थात 0-664है0 भूमि को ज0वि0 अ0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति किया है।

मैंने वादी द्वारा पत्रावली में दाखिल समस्त साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या दिनांक-27-7-12 को अवलोकन व परीक्षण किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि गाटा संख्या-378क रकबा 0-919है0 के 13/18 भाग यानि 0-664 है0 रकबे पर विद्यालय भवन निमार्णाधीन है जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है भूमि अकृषिक है जिसे अकृषिक भूमि घोषित कर दिये जाने में कोई विधिक बाधा प्रकाश में नहीं है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में गाटा संख्या-378क रकबा 0-919है0 के 13/18 भाग अर्थात 0-664है0 रकबा स्थित ग्राम गोपालपुरबड़ागांव परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंहपुर जिला-सुलतानपुर को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा इसे भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। इस आदेश का अंकन उक्त ग्राम की वर्तमान खतौनी में गाटा संख्या-378क के सम्मुख प्रविष्टि वाले कालम में किया जाय तथा भविष्य में बनने वाली खतौनियों में भी इस आदेश का अंकन बराबर होता रहेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक जयसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार को जाय।

(दिवाकर सिंह)
उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर,
सुलतानपुर।
14-8-12

23/12/19